

## राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान

नई दिल्ली -110067

(वित्त एवं लेखा विभाग)

सं.वित्त एवं लेखा/चिकित्सा/2020

30 जून, 2020

### परिपत्र

वित्त एवं लेखा विभाग कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा पर व्यय की गई राशि के दावों की प्रतिपूर्ति की जा रही है। संस्थान के अधिकतर कर्मचारी ओपीडी/आईपीडी उपचार संबंधी नियम व निर्देशों से परिचित हैं। यह देखा गया है कि अभी भी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो प्रतिपूर्ति के निश्चित नियमों से अपरिचित होने के कारण बड़ी राशि की कटौती उनके दावों राशि से की जा रही है। अतः मैं सभी को उपचार तथा दावों को प्रस्तुत करने से संबंधित क्या करना है और क्या नहीं साझा कर रहा हूँ।

1. कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्यों को मुख्य रूप से हमारे संस्थान के चिकित्सा परामर्शदाता डॉ. विनीता विश्वबंधु से परामर्श करना चाहिए। (औषधि-एमडी) जब तक किसी और की आवश्यकता नहीं हो।
2. प्रशासन-11 ने सीजीएचएस दरों पर ओपीडी/आईपीडी इलाज के लिए **बहुत सारे प्रतिष्ठित अस्पतालों को सूचीबद्ध** किया है। कर्मचारियों को इस बारे में सचेत होना चाहिए तथा उनकी सेवाओं को लाभ उठाना चाहिए। राप्रसं द्वारा सीजीएचएस दरों पर सूचीबद्ध किए गए अस्पतालों में जब भी कर्मचारी जाएं तब उनके पास उनका **चिकित्सा कार्ड** होना चाहिए।
3. लैब टेस्टों, एक्स-रे आदि के लिए **सीजीएचएस दरों पर** डॉ. लाल पेथ लेब जैसी प्रतिष्ठित विभिन्न पैथ लेबों की सूचीबद्ध किया गया है। यह दरें सामान्य दरों की तुलना में बहुत कम हैं तथा कर्मचारियों को बिल जारी करते समय लेब का नाम बताना चाहिए। कर्मचारी केवल उनके स्वयं की ब्रांचों से सेवाओं का लाभ उठाएंगे ना कि नामाधिकारों से जो **सीजीएचएस दरों के लिए** प्राधिकृत नहीं हैं। यदि, कोई कर्मचारी किसी नामाधिकार से सेवाओं का लाभ उठाता है तो, उसके दावों की प्रतिपूर्ति **सीजीएचएस दरों पर** की जाएगी।
4. यदि कर्मचारी को किसी निजी डॉक्टर से परामर्श लेना पड़े तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि डॉक्टर **पंजीकरण चिकित्सक** संख्या सहित अच्छी योग्य, मान्यता प्राप्त एमबीबीएस तथा एमडी की डिग्री हो तथा डॉक्टर के पर्चे पर डॉक्टर का नाम, डिग्री व पंजीकरण संख्या रबर मोहर के साथ पूरे हस्ताक्षर किए होने चाहिए।
5. कर्मचारी कृपया ध्यान दें कि **चिकित्सक के परामर्श शुल्क** की प्रतिपूर्ति केवल पक्की रसीद अर्थात प्रिंटेड रसीद पर सीरियल संख्या सहित क्लिनिक/डॉक्टर का नाम व पूरा पता होने पर ही की जाएगी।
6. **विटामिन तथा पोषण की दवाई** एंटीबायोटिक लेते समय को छोड़कर आमतौर पर स्वीकार्य नहीं होती हैं। कृपया संदेह होने पर जाँच करें।
7. **त्वचा और बालों के इलाज** की लागत बैक्टीरिया इंफेक्शन के मामले को छोड़कर प्रतिपूर्तियोग्य नहीं है।
8. **दंत चिकित्सा उपचार तथा प्रक्रिया** सीजीएचएस दिशानिर्देशों के अनुसार **प्रतिबंधित है।**
9. किसी भी बड़ी सर्जरी के लिए, कर्मचारियों को सीजीएचएस दर सूची के अनुसार सीजीएचएस सूचीबद्ध अस्पतालों से संपर्क करना चाहिए तथा पैकेज का उपयोग करना चाहिए।
10. **आयुर्वेदिक/यूनानी तथा होम्योपैथिक दवाएं** प्रतिबंधित हैं तथा केवल मूल दवाओं की सरकारी सूची के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी।
11. स्टेट की लागत तथा अन्य वस्तुओं जैसे घुटना बदलना, नेत्र सर्जरी के मामले में लेंस आदि की लागत केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार प्रतिबंधित है। इसलिए कृपया सीजीएचएस दिशानिर्देशों का पालन करें।

किसी प्रकार का स्पष्टीकरण/प्रश्न के लिए कृपया अग्रिम में लेखा ब्रांच से संपर्क करें।

(डॉ.डी.के.वशिष्ठ)  
वरिष्ठ प्रबंधक



No. F&A/Medical/2020


Dated- June 30, 2020

CIRCULAR

Finance and Accounts department is processing employees' claims for reimbursement of medical expenses incurred by them. Most of the employees are aware of rules and guidelines concerning OPD/ IPD treatment. Still it has been noticed that few are unaware about certain rules of reimbursement due to which a huge amount is being deducted from their claimed amount. Therefore I am sharing few DO's and Don'ts concerning to treatment and submission of claims for information of all.

1. Employees and their family members should consult preferably our Institute's medical consultant Dr. Vineeta Vishwabandhu (MD-medicine) unless otherwise necessary.
2. Admin-II has empanelled many reputed Hospitals for giving OPD/ IPD treatment on CGHS rates. Hence employees should be aware of the same and avail their services. It is necessary for employees to carry their Medical cards with them when they visit the hospitals those empanelled by NII on CGHS rates.
3. Arrangements have been made with many reputed Path Labs such as Dr. Lal Path Lab to charge CGHS rates for Lab tests, X Rays etc. These rates are very low as compared to their normal rates and hence employees to make sure that the Lab should mention NII name when issuing the Bills. Further employees to avail the services from their own branches only and not from Franchises who are not authorized to charge CGHS rates. If any employee avails services from any Franchise, his claim will be reduced to CGHS rates.
4. If employees have to take consultation from private Doctor, they should ensure that the Doctor is well qualified and possess recognized degree such as MBBS and MD etc. with Registered Medical Practitioner no and the prescription should bear full signature with rubber stamp containing name, degree and registration no.
5. Employees to note that Doctor's consultation charges can be reimbursed only on production of 'Pucca' receipt i.e. Printed receipt with serial number, name and full address of clinic/ Doctor.
6. Vitamins and Nutritional supplements are not normally permissible except when necessary such as while taking Antibiotic. When in doubt please counter check.
7. Skin and Hair treatment cost is not reimbursable except in case of bacterial infections.
8. Dental treatment and procedure is restricted as per CGHS guidelines.
9. For any major surgery the employees should contact CGHS empanelled Hospitals and avail packages as per CGHS rate list.
10. Ayurvedic /Unani and Homeopathic medicines are restricted and only basic medicines are reimbursable as per Government list.
11. Cost of Stent and other items like knee replacement, lens in case eye surgery etc are restricted as per rates notified by Central Government from time to time. Hence please adhere to CGHS guidelines.

For any clarification/ query please contact the Accounts branch in advance.

  
( Dr. D K Vashist )  
Senior Manager